तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-5-2025	**राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 41/2022 (2022/138) अनवान खीमसिंह वगैरा बनाम पुखसिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम** पत्रावली पेश हुई है। प्रार्थीगण खीमसिंह वगैरा की खातेदारी की कब्जा काश्त सुद्वा कृषि भूमि खसरा नम्बर 200 रकबा 3.2779 है. व खसरा नम्बर 200/3 रकबा 3.2779 है. ग्राम सुबदण्ड तहसील लूणी में आई हुई, साथ ही खसरा नम्बर 200/2 रकबा 3.2860 है. भूमि अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि आई हुई है, इसी तरह से प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 रकबा 1.1331 है. व खसरा नम्बर 198/1 रकबा 1.1331 है. ग्राम सुबदण्ड तहसील लूणी में आई हुई है, इसके साथ भी अप्रार्थी की खसरा नम्बर 198/2 रकबा 1.1088 है. भूमि आई हुई है। इससे पूर्व खसरा नम्बर 198 रकबा 20.17 बीघा व खसरा नम्बर 200 रकबा 60.16 बीघा भूमि अन्य भूमियो के साथ प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक के पिता प्रतापसिंह, अणदसिंह एवं मगनसिंह पि. मोहब्बतसिंह की सह खातेदारी की कृषि भूमि थी। खातेदारान ने वर्ष 1986 में आपसी सहमती से बंटवाडा कर दिया। बाद में प्रतापसिंह ने प्रार्थीगण के पक्ष में वसीयत कर दी तथा बाद में नियमानुसार प्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई तथा मगनसिंह की भूमि अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज की गई। उक्त प्रार्थना पत्र में मूल खसरा नम्बर 198 व 200 बाबत ही विवाद है इसलिए उक्त हद तक प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थी संख्या एक ने गलत रूप से एंव मनमाने तरीके से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर एवं एकतरफा तौर पर मौके की स्थिति से भिन्न जाकर खसरा नम्बर 198 व 200 की भूमि में अपने खाते में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 198/2 व 200/2 की तरमीम गलत रूप से एवं मौके से भिन्न जाकर मुख्य सडक पर दिखाते हुए दर्ज करवा दी, जो अशुद्व एवं गलत है, जिसे नये सिरे से शुद्व की जाकर पुनः तरमीम किये जाने का आदेश करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। जिसकी विधिवत तामिली प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त जमीन का बटवाडा आपसी सहमती से वर्ष 1986 होना अंकित किया है तथा उक्त बंटवाडा की पालना में ही तरमीम की गई ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिनुसार समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं होने से साथ ही डिले कंडोन हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या दो तहसीलदार लूणी ने अपने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 200 एवं 198 का विभाजन नामान्तरकरण संख्या 247 के द्वारा हुआ है जिसकी पुश्त पर नजरी नंक्शा अंकित नही है। खसरा नम्बर 200/2 एवं 198 की तरमीम का अंकन नक्शा लटट्ा पर लाल स्याही से अंकित है उसी अनुसार उक्त खसरो की ऑन लाईन तरमीम नक्शा लटट्ा अनुसार है एंव कब्जा काश्त राजस्व नक्शे अनुसार होना बताया। बहस सूनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम सुबदण्ड के खसरा नम्बर 198 व 200 में खसरा नम्बर 198/2 एवं 200/2 तथा 198, 198/1, 198/3, 200/3 व 200/1 की तरमीम तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2025 द्वारा विभाजन के नामान्तरकरण संख्या 247 के जरिये हुई है, जिस अनुसार राजस्व लटट्ा नक्शा में अंकित है तथा इसी अनुरूप खातेदार का कब्जा काश्त है। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	